

**फार्म**  
**अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2013**

10

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 1983 - निरंक

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम आलोक कुमार मराठगी 2. वर्तमान धारित पद सहायक अधीक्षक (वि.वि.) कार्यालय का नाम मुख्य अधीक्षक (परीक्षा संज्ञा)  
 म.उ.पा.का.के.वि. जयपुर 4. वर्तमान वेतन ₹ 39020 + D.A. + S.P. 5. भविष्य निधि क्रमांक 22994501 6. कर्मचारी संख्या 85971370

सस जिले, उप संभाग, तालुका तथा गांव का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर, न हो तो बतलाइये कि किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
जबलपुर विजयनगर (समीक्षा सं. 5) जो.डी.ए.	गृह प्लॉट नं. 2016 जो.डी.ए., एकीकृत सं. 5 प्लॉट क्षेत्रफल - 2400 वर्ग फीट ग्रीट निर्माण G.F. + F.F. (1200 + 800) = कुल 2000 वर्ग फीट	निरंक	₹ 70.00 लाख (निरंक)	स्वयं के नाम पर	श्री सुनील विश्व 1735 कोलकाता गई जबलपुर से 2005 में ₹ 6.00 लाख में प्लॉट खरीदा नाम LIZHEL के धारक तथा स्वयं की बचत से गृह निर्माण किया गया।	निरंक	निरंक

हस्ताक्षर आलोक  
 नाम आलोक कुमार मराठगी  
 पद सहायक अधीक्षक (वि.वि.)

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी - मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।  
 संलग्न - उपरोक्तानुसार